

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित एमनेस्टी स्कीम-2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम एमनेस्टी स्कीम-2017 है।

(2) यह स्कीम दिनांक 08.03.2017 से प्रवृत्त होगी और दिनांक 30.04.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय-वस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "आवेदक" से निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प लेने वाला कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है; और

(iii) "कर" में कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय के लिए प्रशमन फीस की रकम और छूट फीस सम्मिलित होगी।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिसके अधीन मांग सृजित की गयी है।

3. स्कीम का लागू होना.- स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को लागू होगी जिसके विरुद्ध दिनांक 08.03.2017 को कुल परादेय मांग तीस करोड़ रुपये से कम है और जो निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन दिनांक 31.12.2016 तक सृजित की गयी है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954;

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994;

(iii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003; या

(iv) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;

4. स्कीम के अधीन फायदे.- ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की मांग नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित मांग के प्रवर्ग के लिए, स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तों की पूर्ति पर, स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगी:-

सारणी

क्र. सं.	दिनांक 31.12.2016 तक सृजित की गयी मांग का प्रवर्ग	शर्तें	ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4

(Handwritten Signature)

1.	मांग वर्ष 2005-06 तक के बारे में हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की पूर्ण रकम।
2.	मांग वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित नहीं हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के दस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।
3.	मांग वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के दस प्रतिशत और परादेय शास्ति रकम के बीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।
4.	मांग वर्ष 2011-12 और तत्पश्चात् के वर्षों के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के बीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत

Handwritten signature

	परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित नहीं हो।	(मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।
5.	मांग वर्ष 2011-12 और तत्पश्चात् के वर्षों के बारे में हो और (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) या प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल या यान; से संबंधित हो।	(i) आवेदक ने दिनांक 30. 04.2017 तक परादेय ब्याज रकम के बीस प्रतिशत और परादेय शास्ति रकम के पच्चीस प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और (ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष रकम।

- स्पष्टीकरण:**(1) जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की गयी है और स्कीम के अधीन अतिशेष परादेय मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो पहले कर दायित्व के विरुद्ध और तत्पश्चात् यह क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम निक्षिप्त की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी।
- (2) जहां मांग पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम निक्षिप्त की गयी समझी जायेगी।
- (3) जहां कोई आवेदन मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति स्कीम के अधीन विकल्प का आशय रखता है, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना से सात दिवस के भीतर अथवा 30 अप्रैल, 2017 तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

Bank

- (4) क्रम संख्यांक 1 पर की मांग के प्रवर्ग के लिए, जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कर की कोई रकम निक्षिप्त करने की अपेक्षा नहीं की गई है, ऐसे मामलों में उससे प्ररूप ए.एस.-I प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक विभाग की शासकीय वेबसाइट से दिनांक 30.04.2017 तक इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-I में आवेदन जनित करेगा और ऐसा जनित प्ररूप ए.एस.-I कर और अन्य राशि, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण से लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो, दिनांक 07.05.2017 तक निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के अध्याधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं, तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रत्येक परादेय मांग के लिए प्ररूप ए.एस.-I में पृथक प्रविष्टियां की जायेंगी और उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः लागू होंगी।

(4) आवेदक प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः रकम का निक्षेप, यदि स्कीम के अधीन निक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, करेगा और प्रत्येक चालान प्ररूप ए.एस.-I में वर्णित किया जायेगा।

(5) जहां व्यवहारी के विरुद्ध कोई मांग परादेय है और मामला विभाग द्वारा फाइल किया गया है, वहां ऐसे मामलों में आवेदक खण्ड 4 में वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम का निक्षेप करने के पश्चात्, इस स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामले के प्रत्याहरण का कोई सबूत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और मामला विभाग द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

(6) जहां अभियोजन का मामला विभाग द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम के समान उपबंधों के अधीन फाइल किया गया है, और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन यथा अपेक्षित रकम निक्षिप्त करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी अपना समाधान होने पर, न्यायालय से मामले के प्रत्याहरण के लिए कार्रवाई करेगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-II को पूर्ण करेगा। तथापि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति को प्ररूप ए.एस.-I प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-II पूर्ण करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी मांग और संग्रहण रजिस्टर में से ब्याज और/या शास्ति और/या, यथास्थिति, विलम्ब फीस की परादेय मांग को भी कम करेगा।

(9) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की कुल रकम दस लाख रुपये से अधिक है, प्ररूप ए.एस.-II की प्रति आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा।

(10) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.- इस स्कीम के अधीन अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।



प्ररूप ए.एस.-I
(खण्ड 5 देखिए)
[व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा भरा जाये]
भाग-क

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत्त/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं./टिन (यदि कोई हो) :
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो :
5. मांग के ब्यौरे (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी):

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम					अधिनियम का नाम जिसके अधीन खण्ड 3 के अनुसार मांग सृजित की गयी है
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	
1.								
2.								

6. मांग के प्रवर्ग के सम्बन्ध में, खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक का वर्णन करें: (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग का प्रवर्ग (समुचित खाने में निशान लगायें)				
			1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5

7. निक्षिप्त रकम के ब्यौरे: (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी.आई.एन.

भाग-ख

परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

8. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
9. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
10. मामले की प्रकृति: अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 67(1)(घ) के अधीन अभियोजन/अन्य:
11. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और उसमें अंतर्ग्रस्त विवादक :
12. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
13. लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की तारीख (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है) :

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर:
नाम :
हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

Bal

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
हैसियत :

प्ररूप ए.एस.-II
(खण्ड 5 देखिए)

[निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा जाये]

- (i) वृत्त/ वार्ड का नाम
- (ii) व्यवहारी या व्यक्ति का नाम और पता:
- (iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/टिन, यदि कोई हो:
- (iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :
- (v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण का आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख:
- (vi) आवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में :
अभियोजन की मंजूरी का संख्यांक और तारीख:
- (vii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख पर परादेय मांग के ब्यौरे:

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम				अधिनियम का नाम जिसके अधीन मांग सृजित की गयी है
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस कुल	
1.							
2.							

- (viii) आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख तक परादेय मांग पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम : रु.

- (ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम				निक्षेप की तारीख	अधिनियम का नाम
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस कुल		
1.								
2.								

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूँ कि आवेदक ने अधिसूचना सं. एफ.12(14)एफडी.टैक्स/2017-92 दिनांक 08.03.2017 की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथा वर्णित ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की शेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से कम कर दी गयी है :-

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं.र.के अनुसार परादेय रकम				कुल
			कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	
1.							
2.							

Sah


निक्षिप्त रकम					अधित्यजित रकम		
कर	ब्याज	शास्ति	विलम्ब फीस	कुल	मांग की अतिशेष रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज	कुल

निर्धारण प्राधिकारी/संबंधित प्राधिकारी के
हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

नाम :
पदनाम

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर अनिल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following Amnesty Scheme-2017, hereinafter referred to as the scheme, for waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2017.

(2) This scheme shall come into force with effect from 08.03.2017 and shall remain in force upto 30.04.2017.

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) "Applicant" means a dealer or person, opting for the scheme by submitting an application to the assessing authority or the authority concerned;

(ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan; and

(iii) "Tax" shall include the amount of composition fee for payment of lump sum in lieu of tax and the exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act under which the demand has been created.

3. Applicability of the scheme.- The scheme shall be applicable to the dealer or person against whom total outstanding demand as on 08.03.2017 is less than rupees thirty crore and which has been created upto 31.12.2016, under the following Acts:-

- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954;
- (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994;
- (iii) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003; or
- (iv) The Central Sales Tax Act, 1956.

4. Benefits under the scheme.- The demand of interest, penalty and late fee shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 of the table given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of demand as mentioned in column number 2 of the said table:

Table

S. No.	Category of Demand created upto 31.12.2016	Conditions	Extent of Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Demand pertaining the years upto 2005-06	(i) The applicant has deposited the whole	Full amount of interest, penalty

[Handwritten Signature]

		<p>amount of tax (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and</p> <p>(ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.</p>	<p>and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.</p>
2.	<p>Demand pertaining to year from 2006-07 to 2010-11 and does not relate to:</p> <p>(i) evasion or avoidance of Tax; or</p> <p>(ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or</p> <p>(iii) unaccounted goods; or</p> <p>(iv) Goods/ vehicle in transit.</p>	<p>(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with ten percent of the outstanding interest amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and</p> <p>(ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.</p>	<p>Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.</p>
3.	<p>Demand pertaining to year from 2006-07 to 2010-11 and relates to:</p> <p>(i) evasion or avoidance of Tax; or</p> <p>(ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or</p> <p>(iii) unaccounted goods; or</p> <p>(iv) Goods/ vehicle in transit.</p>	<p>(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with ten percent outstanding interest amount and twenty percent of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and</p> <p>(ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.</p>	<p>Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.</p>
4.	<p>Demand pertaining to year 2011-12 and years thereafter and does not relate to:</p> <p>(i) evasion or avoidance of Tax;</p>	<p>(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with twenty percent of the outstanding interest amount (as per Demand</p>	<p>Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued</p>

	<p>or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.</p>	<p>and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.</p>	<p>upto the date of order under the scheme.</p>
5.	<p>Demand pertaining to year 2011-12 and years thereafter and relates to: (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.</p>	<p>(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with twenty percent of the outstanding interest amount along with twenty five percent of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.</p>	<p>Remaining amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.</p>

- Explanation:** (1) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation and an application under this scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly.
- (2) Where the demand comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.
- (3) Where any application for rectification related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority or authority concerned, then on intimation in writing from such dealer, he shall dispose it within seven days of such intimation or upto 30th April, 2017, whichever is earlier.
- (4) For category of demand at serial number 1, where the dealer or person is not required to deposit any amount of tax, in such cases, he is not required to submit AS-I.

Sub

- 5. Procedure for availing benefit.-** (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall generate the application in Form AS-I appended to this scheme upto 30.04 2017 from the official website of the department, and such generated Form AS-I shall be submitted to the assessing authority or authority concerned along with the proof of deposit of tax and other sum, if any, and copy of self authenticated application filed for withdrawal of pending case from the Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, if applicable, upto 07.05.2017.
- (2) Subject to clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply to any number of entries as he wants.
- (3) Separate entries in Form AS-I shall be made for each outstanding demand, and conditions as mentioned in column number 3 of the above mentioned table, shall separately apply for each entry.
- (4) Applicant shall deposit the amount, if required to be deposited under this scheme, separately for each entry and separate challan shall be mentioned in Form AS-I.
- (5) Where any demand is outstanding against the dealer and the case has been filed by the department, in such cases, the applicant may opt for this scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and the case shall be withdrawn by the department.
- (6) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of sub-section (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, on being satisfied, the Assessing Authority shall proceed to withdraw the case from the court.
- (7) The assessing authority or authority concerned shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application and on being satisfied shall complete the Form AS-II appended to this scheme. However where any dealer or person, is not required to submit AS-I, Assessing Authority/ Authority concerned shall suo-moto complete the Form AS-II appended to this scheme.
- (8) The Assessing Authority shall also reduce the outstanding demand of interest and/or penalty and / or late fee, as the case may be, from Demand and Collection Register.
- (9) The assessing authority shall forward the copy of Form AS-II to the Deputy Commissioner (Administration) concerned and he shall also forward the copy of Form AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees ten lac.
- (10) The assessing authority shall also forward the copy of Form AS-II to the Applicant.

6. Condition.- No refund shall be allowed due to waiver under this scheme.

**FORM AS-I
(See clause 5)**

[To be filled by the dealer/ person]

PART-A

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. / TIN (if any):
4. E-mail address, if any:
5. Details of demand(Separate entry shall be made for each outstanding demand):



S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand					Name of the Act under which demand has been created, as per clause 3
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	
1.								
2.								

6. Mention the serial number of table of clause 4 regarding the category of demand (Separate entry shall be made for each outstanding demand):

S.No.	Year	Date of Order	Category of demand [Tick appropriate box]				
			1	2	3	4	5
1.							
2.							

7. Details of the amount deposited (Separate entry shall be made for each outstanding demand):

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

PART-B

To be filled in case outstanding demand is under dispute.

8. Date of filing of case :
9. Name of the Court / Forum before which case is pending:
10. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeal/Prosecution under section 67(1)(d) of RVAT Act, 2003 / Others
11. Present status of the case and issues involved therein:
12. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
13. Date of application filed for withdrawal of pending case (if the case has been filed by the applicant):

Signature of the Applicant

Date:
Place:

Name:
Status:

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant

Date:
Place:

Name:
Status:

FORM AS-II

(See clause 5)

[To be filled by Assessing Authority/ Authority Concerned]



- (i) Name of Circle / Ward:
- (ii) Name and address of the applicant:
- (iii) Registration Number/TIN, if any:
- (iv) Authority whose order is under litigation :
- (v) In case of litigation, date of submission of application for withdrawal of case:
- (vi) In case of prosecution filed by the department against the applicant:
number and date of sanction of prosecution:
- (vii) Details of demand outstanding as on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand					Name of the Act under which demand has been created
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	
1.								
2.								

(viii) Amount of accrued Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs.....

(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited					Date of deposit	Name of the Act
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total		
1.									
2.									

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the notification number F.12(14)FD/Tax/2017-92 Dated 08.03.2017, therefore, the balance outstanding demand of interest, penalty and late fee as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

Table

S. No.	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR				
			Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							


Amount Deposited					Amount waived		
Tax	Interest	Penalty	Late Fee	Total	Balance amount of demand	Accrued Interest up to the date of order under the Scheme	Total
9	10	11	12	13	14	15	16

Signature of the Assessing Authority /
Authority concerned

Date:
Place:

Name:
Designation

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-92]
By order of the Governor,


(Shankar L. Kumawat)
Joint Secretary to the Government